न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 206/2022

आरसीएमएस नं. 2022/206

साहबराम पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी/अप्रार्थी

बनाम

1. सुनीता पत्नी संदीप जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6 शिव चौक के पास, गोलूवाला सिहागान, 22 जे.आर.के. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट/प्रार्थीया

2. विमला पत्नी ओमप्रकाश पुत्री पतराम जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. कलावती उर्फ बादू पुत्री भीयांराम पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 यूटीएस तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. विमला पुत्री भीयांराम पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी कोलार तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
5. सरबती पत्नी भागीरथ पुत्री भीयांराम जाति जाट निवासी चक 9 यूटीएस तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थी

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.09.2019

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

अनवान सुनीता बनाम साहबराम आदि प्र0 सं0 79/2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितिः–

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अनिल सिहाग अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांक 06.02.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसके साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के पिता भीयांराम के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 51/42 में 0.0360 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के परिवार की जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादीगण को घराघरू बंटवारे में प्राप्त की है। पिता के स्वर्गवास के बाद वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 घराघरू बंटवारा के अनुसार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनके धारण में वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि बतौर कर्ता कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना 3/7–3/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/7 हिस्सा उनकी सहमति से वादीया को बैयनामा दिनांक 15.06.2016 को कर साई पेटे राशि 10,00,000/– रूपये प्राप्त कर लिये गये थे व बकाया बैयनामा के वक्त देना तय कर कब्जा उसी रोज दिया जाना था परन्तु प्रतिवादीगगा के मन में बेईमानी आने के कारण उक्त भूमि आगे विक्रय कर कब्जा अन्य दिगर को देने की फिराक में है जिससे वादिया के हितों पर कुठाराघात होता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 जिनके द्वारा उक्त विवादित भूमि का विक्रय करने का करार किया गया प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व अन्य तरीके से मुन्तकिल करने से ममनू बाज रहे व मौका की व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें आदि का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

ने प्रकरण को दर्ज करते हुए दिनांक 19.09.2019 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जिससे वयथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई एकपक्षीय होने के कारण अपास्त होने योग्य है। वाद पत्र पूर्णरूप से इकरानामा पर आधारित था जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, जिसपर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलाण्ट ने उपस्थित आकर जवाब देही प्रस्तुत कर दी थी तथा बहस हेतु भी निवेदन किया लेकिन पत्रावली लगातार आगामी तारीख पेशी पूर्वानुसार मुकर्रर की जा रही है। प्रार्थी द्वारा दस्तबरदारी की आड में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज इकरारनामा तैयार किया गया जिसका वाद सिविल न्यायालय हनुमानगढ में विचाराधीन है लेकिन उक्त इकरारनामा प्रथम दृष्टया ही कूटरचित होने के कारण अभी तक सिविल न्यायलाय से कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विरूद्ध इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। एकपक्षीय स्थगन आदेश का निर्णय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के 3 माह के अन्दर अन्दर किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाण्ट के बार बार आग्रह पर भी आज तक कोई निर्णय पारित न कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के पिता भीयांराम के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 51/42 में 0.0360 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के परिवार की जायदाद है जो प्रतिवादीगण को घराघरू बंटवारे में प्राप्त की है। पिता के स्वर्गवास के बाद वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 घराघरू बंटवारा के अनुसार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनके धारण में वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि बतौर कर्ता कब्जा काश्त में है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना 3/7–3/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/7 हिस्सा उनकी सहमति से वादीया को बैयनामा दिनांक 15.06.2016 को कर साई पेटे राशि 10,00,000/– रूपये प्राप्त कर लिये गये थे व बकाया बैयनामा के वक्त देना तय कर कब्जा उसी रोज दिया जाना था परन्तु प्रतिवादीगगा के मन में बेईमानी आने के कारण उक्त भूमि आगे विक्रय कर कब्जा अन्य दिगर को देने की फिराक में है जिससे वादिया के हितों पर कुठाराघात होता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 जिनके द्वारा उक्त विवादित भूमि का विक्रय करने का करार किया गया प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व अनय तरीके से मुन्तकिल करने से ममनू बाज रहे व मौका की व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें आदि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध पेश की है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकती है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 19.09.2019 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की हैं। इस न्यायालय में अपील पेश होने पर दिनांक 28.06.2022 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई। माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सं0 4407/2022 सुनीता बनाम साहबराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 से इस न्यायलाय के आदेश दिनांक 28.06.2022 एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के आदेश दिनांक 19.09.2019 की क्रियान्विति एवं प्रभाव को आगामी दिनांक तक स्थगित किया गया है एवं यह निर्देश दिये गये हें कि दोनों पक्षों की उपस्थित सुनिश्चत करते हुए एक माह में अपील का निस्तारण करे। यह प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाण्ट को अपने कथन अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। अपीलाण्ट के पास अपने तथ्य प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त अवसर हैं। अतः अपील अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का 1 माह में निर्णय पारित करे।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेशदिनांक 19.09.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर 1 माह में निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner